दिनाँक 15/01/2024 को देहरादून पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना को अजांम देने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, घटना में लूटा गया मोबाइल फोन, 02 अवैध चाकू तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामद।

दिनांक 14.01.2024 को वादिनी कुमारी सिंधु पुत्री झूलन प्रसाद निवासी सहसपुर द्वारा थाना सेलाकुई पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया की सहसपुर से सेलाकुई की ओर मुख्य मार्ग पर जाते समय पीछे से आये 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा उनका मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गए। उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्काल थाना सेलाकुई पर मु0अ0सं0-6/24, धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों को चैक करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों की जानकारी हेतु स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया, साथ ही पूर्व में मोबाइल लूट की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तों के सम्बंध में जानकारी एकत्रित कर उनकी अध्यतन स्थिति की जानकारी की गई। टीम द्वारा किये गये प्रयासो से दिनांक 14/01/24 को घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों (1)- आकाश (2)- विकास को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सेलाकुई क्षेत्र से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की तलाशी लेने पर उनके पास से घटना में लूटा गया मोबाइल तथा एक-एक अवैध चाकू बरामद हआ, जिस पर पूर्व में पंजीकृत अभियोग में धारा-25/4 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई। गिरफ्तार दोनो अभियुक्त सगे भाई है, जो पूर्व में भी मादक पदार्थो की तस्करी तथा मोबाईल लूट की घटनाओं में जेल जा चुके है। दोनो अभियुक्तों द्वारा वर्ष 2023 में इन्दिरानगर, बसंतबिहार क्षेत्र में भी मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा कुछ दिन पूर्व ही दोनो अभियुक्त जेल से बाहर आये थे।

नाम पता अभियुक्तः-

(1)- विकास प्रजापति पुत्र मेजर सिंह, निवासी भनवाला, भाऊवाला, थाना सेलाकुई, उम्र 25 वर्ष

(2)- आकाश प्रजापति पुत्र मेजर सिंह, निवासी उपरोक्त, उम्र 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण :-

(1)- 01 मोबाइल फोन रियलमी कंपनी (घटना में लूटा गया)

(2)- 02 अवैध चाकू

(3)- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर 200 सीसी संख्या UK07 DN-3185

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

1- मु0अ0सँ0 - 211/22 धारा- 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेलाकुई, देहरादून

2- मु0अ0सं0 - 238/23 धारा - 392/41 भादवि, थाना वसंत विहार, देहरादून

पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 अनित कुमार, थाना सेलाकुई, जनपद देहरादून

2- कांस्टेबल उपेंद्र भंडारी

3 - कांस्टेबल विनोद